न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 01/2021

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला–बारां **(प्रार्थी)**

बनाम

अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड बारां

(अप्रार्थी)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार **(प्रार्थी)**

आदेश दिनांक– 21.02.2022

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थी के खाते विवादित आराजी ख0नं0 610 रकबा 0.78 है., किस्म नहरी I में से 0.09 है. वाके ग्राम शाहपुरा तहसील–मांगरोल राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट पूर्व मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2044–63 साबिक खसरा नम्बर 442 मि. रकबा 4 बीधा 13 बिस्वा रहे है, जो जमाबन्दी सम्वत् 2037–40 में सिवायचक काबिल काश्त किस्म गै.मु. तलाई दर्ज है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 442 मि. रकबा 4 बीधा 13 बिस्वा मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2014–23 में साबिक खसरा नंबर 376 रकबा 4 बीधा 13 बिस्वा किस्म तलाई दर्ज है। जिसका आवंटन सोनवा पेयजल परियोजना के अन्तर्गत ग्राम शाहपुरा में उच्च जलाशय निर्माण हेतु अप्रार्थी को किया गया है। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये अप्रार्थी को किया गया आवंटन नियम विरूद्व है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

जिला कलक्टर बारां (राज०)

अतः उक्त आवंटन रा[illegible]श्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी.बी.रिट [illegible] 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज[illegible]लय, जयपुर के [illegible] दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज कि[illegible] जाना आवश्यक है। [illegible] आवंटन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.24 12:10:42 IST
Reason: SelfAttested

2— प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी जर्ये अधीनस्थ अधिकारी उपस्थित हुये। तथा अप्रार्थी ने जर्ये अधीनस्थ अधिकारी जवाब इस आशय का पेश किया कि उक्त प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के पास गहरी पानी की तलाई होने से गड्डे में होने के कारण विभाग द्वारा तकनीकी दृष्टि से उक्त भूमि पर उच्च जलाशय का निर्माण किया जाना उचित नहीं समझ कर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करवाया गया। अतः उपरोक्त आवंटित आराजी खसरा नंबर 610 रकबा 0.78 है. में से 0.09 है. किस्म नहरी I को निरस्त फरमावे।

3— अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत करने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

4— बहस के स्तर पर अप्रार्थी अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारी अनुपस्थित रहने पर हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार की सुनी।

5— बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि अप्रार्थी अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड बारां को ग्राम शाहपुरा की आराजी के सेटलमेंट पूर्व मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2044—63 साबिक खसरा नम्बर 442 मि. रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई रहे है, जिसके मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2014—23 में साबिक खसरा नंबर 376 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा किस्म तलाई दर्ज है। जिस वक्त भूमि आवंटित हुयी है उस वक्त विवादित आराजी की किस्म नहरी I थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट ख0नं0 610 रकबा 0.78 है., में से 0.09 है. वाके ग्राम शाहपुरा तहसील—मांगरोल जो वर्तमान में अप्रार्थी के खाते दर्ज है। जिसकी किस्म नहरी I दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा—16 के अन्तर्गत आवंटन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आवंटन नियम विरूद्व हुआ है। ऐसे नियम विरूद्व आंवटन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को गै.मु. तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी [illegible] द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा—82 भू राजस्व अधिनियम,1956 को स्वीकार [illegible], रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.24 12:10:42 IST
Reason: SelfAttested

6— हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2044—63 साबिक खसरा नम्बर 442 मि. रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा रहे है,

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

जो जमाबन्दी सम्वत् 2037–40 में सिवायचक काबिल काश्त किस्म गै.मु. तलाई दर्ज है उक्त आराजी खसरा नम्बर 442 मि. रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2014–23 में साबिक खसरा नंबर 376 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा किस्म तलाई खाता सरकार दर्ज है। जिसका अप्रार्थी अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड बारां को आवंटन किया गया है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 610 रकबा 0.78 है0 में से 0.09 है. बने है, जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार अप्रार्थी को जिस वक्त भूमि आवंटित की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी नहरी I खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आराजी का आवंटन नियम विरूद्व हुआ है।

7– अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि अप्रार्थी को आवंटित आराजी खसरा नम्बर 610 रकबा 0.78 है0 में से 0.09 है. जो मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2044–63 साबिक खसरा नम्बर 442 मि. रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा रहे है, जो जमाबन्दी सम्वत् 2037–40 में सिवायचक काबिल काश्त किस्म गै.मु. तलाई दर्ज है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 442 मि. रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2014–23 में साबिक खसरा नंबर 376 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा किस्म तलाई दर्ज है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट खसरा नम्बर 610 रकबा 0.78 है0 में से 0.09 है. किस्म नहरी I बने है। उक्त आराजी वास्तविक रूप से सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु. तलाई दर्ज थी जिसका आवंटन अप्रार्थी को विधि विरूद्व हुआ है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

8– परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, मांगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थी के वर्तमान में वाके ग्राम शाहपुरा में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 610 रकबा 0.78 है0 में से 0.09 है. किस्म नहरी I, जो मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2044–63 साबिक खसरा नम्बर 442 मि. रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा रहे है, जो जमाबन्दी सम्वत् 2037–40 में सिवायचक काबिल काश्त किस्म गै.मु. तलाई दर्ज है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 442 मि. रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2014–23 में साबिक खसरा नंबर 376 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा किस्म तलाई से बना है जिसका अप्रार्थी को गलत रूप से आवंटन हुआ है, आवंटन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेंस माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जाने हेतु [illegible] को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर [illegible] माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.24 12:10:42 IST
Reason: SelfAttested

9— तहसीलदार, मांगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थी के गैर खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें। अप्रार्थी को पाबन्द किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय होने तक, वर्णित आराजी खसरा नम्बर 610 रकबा 0.78 है0 में से 0.09 है. किस्म नहरी I वाके ग्राम शाहपुरा तहसील—मांगरोल की यथास्थिति बनाये रखें। इस आराजी को खुर्द—बुर्द नहीं करे।

आदेश आज दिनांक 21.02.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.24 12:10:42 IST
Reason: SelfAttested